राजस्थान सरकार

मन्त्रिमण्डल की आज्ञा

1/2007

दिनांक 10 जनवरी, 2007 को हुई मंत्रिमण्डल की बैठक मे ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन संख्या प0 22 (56) WDSC/BIOF/05 दिनांक 15 सितम्बर, 2006 पर विचार विमर्श कर ज्ञापन में अंकित बायो–फ्यूल आधारित परियोजनायें प्रोत्साहित करने संबंधी प्रस्तावों को इस संशोधन के साथ अनुमोदन किया गया कि निजी कम्पनियों एवं राजकीय उपक्रमों को जिले में उपलब्ध बंजर भूमि का अधिकतम 30 प्रतिशत भाग तक आवंटित किया जा सकेगा ।

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि बायोफ्यूल संबंधी समस्त कार्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग द्वारा सम्पादित किया जावेगा ।

(अनिल वैश्य)
मुख्य सचिव

प्रमुख शासन सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग

डी-- 1/मंमं/2007
दिनांक: 17.1.07

"गोपनीय"
प्रतिसंख्या

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक प. 22 (56) WDSC/BIOF/05 जयपुर, दिनांक 15.09.06

मंत्रीमण्डल ज्ञापन

विषयः– बायो–फ्यूल आधारित परियोजनाऐं प्रोत्साहित करने के संदर्भ में मंत्रीमण्डल के विचारार्थ ज्ञापन ।

1. पिछले कुछ वर्षो में बायो–फ्यूल ईधन उर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में उभर कर आया है, जिसके द्वारा ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। हाल ही में डीजल के विकल्प के रूप में बायो–फ्यूल ईधन के प्रति जन–साधारण में जागरूकता बढी है, जिसे वनस्पति तेलों व पशु–वसा से प्राप्त किया जा सकता है।

2. राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। बंजर भूमि के हिसाब से भी राज्य में उपलब्ध बंजर भूमि का क्षेत्रफल अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है। प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल (342.24 लाख हैक्टेयर) का करीब 31 प्रतिशत (105.64 लाख हैक्टेयर) क्षेत्र बंजर भूमि की श्रेणी में आता है। राज्य में जिलेवार उपलब्ध बंजर भूमि की सूची परिशिष्ठ 'अ' पर उपलब्ध है।

3. राजस्थान की बंजर भूमि में रतनजोत व अन्य समकक्ष तेलीय पौधों की खेती के द्वारा बायो–फ्यूल के उत्पादन की प्रबल संभावनाओं को देखते हुए वर्ष 2005–06 में माननीय मुख्य मंत्री महोदया की अध्यक्षता में **"बायो–फ्यूल मिशन"** का गठन किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य रतनजोत, करंज व अन्य समकक्ष तेलीय पौधों की खेती, अनुसंधान, प्रसंस्करण, विपणन और आधारभूत सुविधाओं का विकास करना है। इससे संबंधित क्षेत्र में बंजर भूमि का विकास होगा तथा आय, रोजगार एवं औद्योगिक विकास को एक नई दिशा मिलेगी, ग्रामीण क्षेत्र में व्याप्त गरीबी को दूर करने में मदद मिलेगी तथा राज्य का चहुँमुखी विकास संभव हो सकेगा।

4. (अ) राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1996 में बंजर भूमि के आवंटन से संबंधित नियम राजस्थान भू–राजस्व (कृषि आधारित निर्यातोन्मुख उपज के प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1996 जारी किये गये, (परिशिष्ट "ब–1") जिसके मुख्य प्रावधान निम्न प्रकार से हैः– "इन नियमों के अधीन,कृषि आधारित निर्यातोन्मुख उपज के प्रयोजन या लोकप्रयोजन के लिए भूमि केवल भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन रजिस्ट्रीकृत पब्लिक, प्राइवेट और संयुक्त सेक्टर भारतीय कम्पनियों और राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अधीन रजिस्ट्रीकृत राज्य संप्रवर्तित सोसाइटियों को आवंटित की जायेगी। कम्पनी या सोसायटी ऐसी भूमि के विकास के लिए विनिधान करने हेतु सक्षम होगी। वह अपनी परियोजना के समर्थन में परियोजना रिपोर्ट, बजट उपबन्ध, क्रेडिट रेटिंग, पूर्व साध्यता रिपोर्ट और अन्य सुसंगत सामग्री प्रस्तुत करेगी।

4.1 इन नियमों के अधीन आवंटित की जाने वाली भूमि का अधिकतम क्षेत्र 500 हैक्टर से अधिक नहीं होगा। उन विशिष्ट मामलों में जिनके लिए मानदण्ड पृथकतः अधिकथित किये जायेंगे, आवंटन का विस्तार 1000 हैक्टर तक किया जा सकेगा।

4.2 उक्त नियमों की पालना बहुत धीमी रही एवं कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई। वस्तुतः बंजर भूमि पर कोई महत्वपूर्ण परियोजना नहीं लगी।

4. (ब) राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प 6 (15)/राज/4/86 दिनांक 20.07.1990 के द्वारा, राजस्थान भू–राजस्व (निजी वन विकास हेतु अकृषि योग्य बंजर भूमि का आवंटन) नियम 1986 (परिशिष्ट ब–2) के तहत भूमि आवंटन पर रोक लगा दी गई।

5. राज्य में बायो–फ्यूल आधारित कृषि परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न प्रयास किया जाना आवश्यक समझा गया हैं :–

5.1 रतनजोत एवं अन्य बायो–फ्यूल आधारित कृषि प्लांटेशन के लिए वृहत स्तर पर सुगमता से बंजर भूमि उपलब्ध कराना।

5.2 व्यक्तिगत खातेदारों को उनकी खातेदारी की बंजर भूमि पर रतनजोत व अन्य बायो–फ्यूल आधारित कृषि प्लांटेशन के लिए प्रोत्साहित करना।

5.3 राज्य के बड़े क्षेत्र में उपलब्ध परिभ्रांषित वन (Degraded Forest) का उक्त प्रयोजनार्थ उपयोग किया जाना।

5.4 इस क्षेत्र में वृहत स्तर पर निवेश व जन–सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए कृषि विभाग एवं बायो–फ्यूल प्राधिकरण (Bio-fuel Authority) द्वारा दिये जाने वाले प्रोत्साहनों का पैकेज जारी करना।

6. मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 20.1.2006 को "Concept Paper on Waste land allotment for Bio-fuel plantation" पर विचार करने हेतु एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसकी मुख्य अनुशंषाएं निम्न प्रकार हैः–

6.1 काश्त योग्य बंजर भूमि का रतनजोत एवं अन्य समकक्ष तेलीय पोधों की खेती के लिए ही निम्न श्रेणियों को आवंटन किया जावेगा :

अ. गरीबी रेखा से नीचे जीवनं यापन करने वाले (BPL) परिवार के व्यक्ति विशेष को

ब. स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY) के तहत गठित स्वयं सहायता समूह (SHG), महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) यदि इन महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्या भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1970 के नियमों के तहत "भूमिहीन कृषक" की श्रेणी में हो।

स. पंचायती राज संस्थाएँ

द. किसी भारतीय कम्पनी (भारतीय कम्पनीज एक्ट 1956 में पंजीकृत) को यदि वह निम्न को समाविष्ट करते हुये एकीकृत बायो–फ्यूल इकाई (Integrated Bio-Fuel Unit) स्थापित करने हेतु सहमत हो:–

1. प्रसंस्करण इकाई
2. बायो–डीजल रिफाईनरी
3. पैकेज ऑफ प्रेक्टिस हेतु अनुसंधान एवं विकास कार्य
4. उच्च गुणवत्ता की पौध एवं बीज के विकास हेतु नर्सरी स्थापना

6.2 गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले (BPL) परिवार के 'भूमिहीन' व्यक्ति विशेष को अधिकतम 20 हैक्टेयर भूमि का आवंटन किया जा सकेगा। स्वयं सहायता समूहों एवं पंचायतीराज संस्थाओं को अधिकतम आवंटन 500 हैक्टेयर किया जा सकेगा। किसी भारतीय कम्पनी (भारतीय कम्पनीज एक्ट 1956 में पंजीकृत) को अधिकतम 500 हैक्टेयर भूमि ऑवंटन किया जा सकता है यदि वह निम्न को समाविष्ट करते हुये एकीकृत बायो–फ्यूल इकाई (Integrated Bio Fuel Unit) स्थापित करने हेतु सहमत हो:–

1. प्रसंस्करण इकाई
2. बायो–डीजल रिफाईनरी
3. पैकेज ऑफ प्रेक्टिस हेतु अनुसंधान एवं विकास कार्य
4. उच्च गुणवत्ता की पौध एवं बीज के विकास हेतु नर्सरी स्थापना

6.3 गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले (BPL) परिवार के व्यक्ति विशेष, स्वयं सहायता समूहों एवं पंचायतीराज संस्थाओं को भूमि निःशुल्क आवंटित की जावेगी। आवंटी को आवंटित भूमि पर गैर खातेदारी अधिकार दिये जायेंगे। किसी भारतीय कम्पनी (भारतीय कम्पनीज एक्ट 1956 में पंजीकृत) को डी.एल.सी. दरों की 10 प्रतिशत राशि (बारानी भूमि की निम्नतम श्रेणी पर लागू होने वाली दरों के आधार पर) आवंटन के समय राजकोष में जमा करानी होगी। लीज की प्रारंभिक अवधि 30 वर्ष होगी। जिसे राज्य सरकार द्वारा बढ़ाया जा सकता है।

6.4 गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले (BPL) परिवार के भूमिहीन व्यक्तियों को भू–आंवटन के उपरान्त विकास अधिकारी द्वारा समान रूचि समूह के रूप में संगठित किया जायेगा ताकि समूह को ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाएं जैसे कि बंजर भूमि विकास योजना, जल ग्रहण विकास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम आदि के तहत भूमि विकास कार्यों के अन्तर्गत लाभान्वित कराया जा सके ।

6.5 कृषि विस्तार अधिकारी/कार्यकर्ता द्वारा रतनजोत व अन्य समकक्ष तेलीय पौधों की खेती हेतु वांछित तकनीकी सहयोग, भूमि विकास हेतु सहयोग, इनपुट व्यवस्था (खाद, बीज अनुदान एवं तकनीकी जानकारी), पैकेज ऑफ प्रेक्टिसेज का तकनीकी हस्तांतरण तथा गरीब परिवार के लिये (Hand Holding) सहयोग उपलब्ध कराया जावेगा।

6.6 रतनजोत के बीज उत्पादन की कृषकों (विशेषतः बी.पी.एल. आवंटित द्वारा उत्पादित) से खरीद हेतु राजफैड एवं राजससंघ नॉडल संस्था होगी । निजी कंपनियों को उपरोक्त व्यवस्था के साथ–साथ संविदा खेती की अनुमति होगी, यदि वैयक्तिक आवंटी/समूह ऐसा चाहता हो।

6.7 परिप्रांषित वन क्षेत्रों में रतनजोत व अन्य समकक्ष तेलीय पौधें के वृक्षारोपण के लिए वन विभाग द्वारा तैयार कार्ययोजना अनुसार कार्यवाही की जावे। (वन विभाग की कार्ययोजना **परिशिष्ठ 'द'** पर उपलब्ध है।)

6.8 राजस्व विभाग द्वारा उल्लेखित मुख्य बिन्दुओं को समाहित करते हुए नियम जारी किये जावेंगे।

7. माननीय मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में बायो–फ्यूल आधारित परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के संदर्भ में विचाराधीन नीति का परीक्षण करने तथा इस संदर्भ में अन्य राज्य में प्रचलित नीतियों एवं कार्यक्रमों का परीक्षण कर अनुशंषा करने एंव सुझाव देने हेतु एक **मंत्रीमण्डलीय समिति** का गठन किया गया। मंत्रीमण्डलीय समिति द्वारा इस विषय पर आयोजित बैठक दिनांक 24.3.2006, 29.3.2006 एवं 12.9.2006 को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रसारित विभिन्न भू आवंटन नियमों, पहलुओं, मंत्री मण्डल ज्ञापन, अन्य राज्यों में प्रचलित नीतियों, नियमों पर विस्तृत चर्चा व मंथन पश्चात प्रस्तुत रिपोर्ट **परिशिष्ठ 'य'** पर संलग्न है। इस सम्बन्ध में मंत्री मण्डलीय समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 12.9.2006 में मुख्यतया निम्न सिफारिशें की गई हैं :–

7.1.1 बंजर भूमि का बायो–फ्यूल हेतु रतनजोत, करंज आदि की खेती व उद्योग स्थापना हेतु आंवटन निम्न श्रेणियों को किया जाएगा:–

1– निजी कम्पनी (भारतीय कम्पनीज एक्ट 1956 में पंजीकृत)
2– राजकीय उपक्रम
3– बी.पी.एल. परिवारों के स्वयं सहायता समूह
4– ग्राम पंचायत
5– कृषि सहकारी समितियां
6– पंजीकृत समितियां
7– ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबंधन समिति

नोट– उन राजकीय उपक्रम एवं निजी कम्पनियों को प्राथमिकता (preference) दी जावेगी जिसमें बायो–फ्यूल हेतु रतनजोत, करंज व अन्य समकक्ष तेलीय पौधों की खेती के साथ–साथ निम्न कार्य किया जावेगा –

1– प्रसंस्करण इकाई की स्थापना
2– बायो डीजल रिफाईनरी की स्थापना
3– पैकेज ऑफ प्रेक्टिस हेतु अनुसंधान एवं विकास कार्य
4– उच्च गुणवत्ता की पौध एवं बीज के विकास हेतु नर्सरी स्थापना
5– रतनजोत, करंज एंव अन्य समकक्ष तेलीय पौधों की खेती
6– बायो–फ्यूल उद्योग में रोजगार एवं कृषि कार्यो में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार उपलब्ध करवाया जावेगा
7–जिले के निर्धारित क्षेत्र में बायो–फ्यूल प्राधिकरण द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उत्पादित रतनजोत की खरीद की जावेगी।

7.1.2 निजी कम्पनी (भारतीय कम्पनीज एक्ट 1956 में पंजीकृत) एवं राजकीय उपक्रम को जिले में उपलब्ध बंजर भूमि का अधिकतम 50% भाग तक आवंटित किया जा सकता है। शेष भूमि अन्य श्रेणियों को आवंटन हेतु

उपलब्ध रहेगा। इसमें बी.पी.एल. परिवारों के स्वयं सहायता समूहों को प्राथमिकता दी जावेगी।

7.1.3 निजी कम्पनी (भारतीय कम्पनीज एक्ट 1956 में पंजीकृत) एवं राजकीय उपक्रम को बायो–फ्यूल प्रोजेक्ट हेतु 1000 हैक्टेयर तक भूमि का आवंटन मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा, इससे अधिक आवंटन के प्रस्ताव बी.डी. को निर्णय हेतु प्रस्तुत किये जावेंगे। अन्य श्रेणियों को 100 हैक्टेयर तक भूमि आवंटन जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जावेगा।

7.1.4 राजकीय उपक्रम, निजी कम्पनियों एवं पंजीकृत समितियों को भूमि का आवंटन डीएलसी दरों की 20 प्रतिशत राशि (बारानी भूमि की निम्नतम श्रेणी पर लागू होने वाली दरों के आधार) पर किया जावेगा। शेष श्रेणियों को भूमि निःशुल्क आवंटित की जाएगी।

7.1.5 राजकीय उपक्रम, निजी कम्पनियों एवं पंजीकृत समितियों को भूमि का आवंटन पट्टाधारी (leasehold) आधार पर 20 वर्षीय लीज पर किया जाएगा और शेष श्रेणियों को आवंटन भूमि पर गैर खातेदारी आधार पर दिया जाएगा।

7.1.6 आवंटी को आवटित भूमि का 50 प्रतिशत प्रथम दो वर्ष में तथा शेष आवंटन से तृतीय वर्ष में प्लान्टेशन के कार्य में लेना होगा। इस शर्त की पूर्ति नहीं होने की स्थिति में आवंटन स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

7.1.7 एन.सी.आर. क्षेत्र, शहरी क्षेत्र व मुख्य सड़क मार्गो से निर्धारित दूरी तक की भूमि आवंटित नहीं की जावेगी।

7.2 प्रस्तावित नीति के अनुमोदन पश्चात् राजस्व विभाग द्वारा इस संबंध में आवश्यक नियम शीघ्र जारी किये जावेंगे।

7.3 इस योजना की गतिविधियों के संचालन हेतु नोडल विभाग सम्बन्धी समिति का मत है कि भारत सरकार में यह कार्य ग्रामीण विकास मंत्रालय को सौंपा गया है। यदि भू आवंटन का कार्य उपरोक्तानुसार प्रस्तावित नीति अनुरूप होगा तो यह गतिविधि मुख्यतया ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर आधारित होगी। इस प्रक्रिया में ग्रामीण औद्योगीकरण का अंश भी शामिल है और साथ ही कृषि विस्तार से सम्बन्धित गतिविधियाँ भी शामिल है। लेकिन कृषि विभाग का नियंत्रण अब जिला स्तर पर पंचायती राज को सौंपा जा चुका है। इन समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये समिति का मत हैं कि इस कार्य को निम्न लिखित किसी भी विभाग को सौंपा जा सकता है :–

1. ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
2. उद्योग विभाग

8.1 बीपीएल परिवारों के स्वंय सहायता समूहों व ग्राम पंचायतों को आवंटित भूमि के विकास हेतु सहायता ग्रामीण विकास की योजनाऐं जैसे बंजर भूमि विकास योजना, वाटरशेड, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, Novod अनुदान योजना इत्यादि के अन्तर्गत उपलब्ध कराये जाने हेतु परियोजना तैयार की जाकर लागू की जावेगी ताकि इस

भूमि का विकास एक योजनाबद्ध तरीके से निश्चित अवधि में हो सके और इसका लाभ गरीब व्यक्तियों को प्राप्त हो सके।

8.2 कृषि विस्तार अधिकारी/कार्यकर्ता द्वारा वांछित तकनीकी सहयोग, भूमि विकास हेतु सहयोग, इनपुट व्यवस्था (खाद, बीज अनुदान एवं तकनीकी जानकारी), पैकेज ऑफ प्रेक्टिसेज का तकनीकी हस्तांतरण तथा गरीब परिवार के लिये Hand Holding सहयोग उपलब्ध कराया जावेगा।

8.3 बायो–फ्यूल हेतु रतनजोत का वाणिज्यिक उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए जनजातीय क्षेत्र विकास संघ के माध्यम से अनवरत व निश्चित दर पर बीज खरीद कराने, बीज एवं तेल की बिक्री पर विभिन्न करों में छूट देने पर विचार किया जायेगा। निजी कंपनियों को उपरोक्त व्यवस्था के साथ–साथ संविदा खेती की अनुमति होगी ।

9. वन क्षेत्र में उपलब्ध बंजर भूमि का आवंटन तो नहीं किया जा सकता है लेकिन उनके समग्र विकास के लिए राज्य स्तर पर एक योजना का प्रारूप तैयार किया गया है। जो "परिशिष्ठ–द" पर संलग्न है। राजस्थान राज्य के वन क्षेत्र का लगभग आधा क्षेत्र परिभ्रांषित स्थिति में है जिस पर सघन वन नहीं है। वन विभाग की पड़त एवं परिभ्रांषित भूमियों पर वृक्षारोपण कर हराभरा करने के साथ–साथ क्षेत्र की उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुये बायो–फ्यूल उत्पादन करने वाली स्थानीय प्रजातियां जैसे रतनजोत, करंज आदि का रोपण किया जा सकता है।

10. यह आवश्यक समझा गया है कि राज्य स्तर पर बायो–फ्यूल आधारित परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने के लिए एक विशेष पैकेज बनाया जाए, जिसके लिए ब्यूह–रचना तैयार की गई है, जो "परिशिष्ठ–श" पर संलग्न है। राज्य स्तर पर ऐसी परियोजनाओं को दिये जाने वाले प्रोत्साहन निम्न होंगे:–

10.1 बायो–फ्यूल प्राधिकरण द्वारा किसानों, कृषि विस्तार कार्यकर्ताओं, बैंक अधिकारियों तथा उद्यमियों को तकनीकी प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन दिया जाएगा।

10.2 बायो–फ्यूल प्राधिकरण द्वारा रतनजोत से संबंधित तकनीकी साहित्य का वितरण किया जावेगा।

10.3 बायो–फ्यूल प्राधिकरण द्वारा कृषकों को रतनजोत के उच्च गुणवत्ता वाले पौधे स्थानीय स्तर पर उपलब्ध करवाए जाने का प्रयास किया जाएगा।

10.4 भारत सरकार के उपक्रम नोवोड बोर्ड (NOVOD BOARD), गुड़गांव द्वारा वृक्षोत्पादित तेलीय बीज विकास योजना (Tree Borne Oilseeds Development Scheme) के अन्तर्गत रतनजोत प्लान्टेशन हेतु अनुदान दिए जाने की योजना है। प्लान्टेशन की इकाई लागत रुपये 25,000/– प्रति हैक्टयेर मानते हुए प्रथम वर्ष में 30 प्रतिशत अर्थात् प्रति हैक्टयेर रुपये 7,500/– अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। इसी प्रकार द्वितीय व तृतीय वर्ष में पौधों के रख रखाव हेतु प्रति हैक्टेयर इकाई लागत रुपये 5,000/– मानते हुए प्रति हैक्टेयर रुपये 1,500/– अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। तीसरे वर्ष के बाद अनुदान का कोई प्रावधान नहीं है।

10.5 NOVOD BOARD की उक्त "बेक एन्डेड क्रेडिट लिंक पॉलिसी" के साथ–साथ राजस्थान सरकार द्वारा प्रथम वर्ष में प्रति हैक्टेयर रुपये 2,500/– का अतिरिक्त अनुदान (कुल अनुदान, NOVOD BOARD व राज्य

सरकार द्वारा देय, रुपये 10,000/– प्रति हैक्टेयर), कृषकों, पंचायती राज संस्थाओं एवं कृषि सहकारी संस्थाओं को अधिकतम 10 हैक्टेयर क्षेत्र के लिए दिया जाना प्रस्तावित हैं। नोवोड बोर्ड को अनुदान हेतु समस्त प्रार्थना–पत्र बायो–फ्यूल प्राधिकरण के माध्यम से भेजे जावेगें।

10.6 व्यावसायिक बैंको के माध्यम से राजस्थान में रतनजोत प्लान्टेशन के लिए ऋण का प्रावधान है और बायो–फ्यूल प्राधिकरण ऋण उपलब्ध करवाने में सहयोग करेगा।

11. बायो–फ्यूल परियोजनाएं प्रोत्साहित करने के संदर्भ में प्रस्तावों पर वित्त विभाग से दिनांक 16.12.05 को (परिशिष्ट 'र'), वन विभाग से दिनांक 16.12.2005 को (परिशिष्ट 'ल'), विधि विभाग से दिनांक 15.12.2005 को (परिशिष्ट 'व') राय प्राप्त कर ली गई है।

12. इन प्रस्तावों का अनुमोदन मुख्य सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदया से प्राप्त कर लिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने **इस प्रारूप को मंत्रीमण्डल** के समक्ष प्रस्तुत करने की सहमति प्रदान कर दी **है। मंत्रीमण्डल के निर्णय पश्चात्** इसे लागू करने हेतु आज्ञापक क्रियान्वयन सूची **परिशिष्ट 'क'** पर संलग्न हैं।

13. उक्त परिपेक्ष्य में निम्न प्रस्ताव मंत्री मण्डल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है:–

13.1 इस ज्ञापन के पैरा–7 में प्रस्तावित नीति के अनुमोदन पश्चात् राजस्व विभाग द्वारा राज्य में उपलब्ध बंजर भूमि का बायो–फ्यूल प्रसंस्करण प्रोजेक्ट्स के आवंटन हेतु वर्तमान नियमों में संशोधन कर आवश्यक नियम शीघ्र जारी किये जायें।

13.2 Degraded Forest क्षेत्र में बायो–फ्यूल आधारित वृक्षारोपण हेतु वन विभाग इस ज्ञापन के पैरा –9 में उल्लेखित, वन विभाग के प्रस्ताव (परिशिष्ठ 'द') में दिये गये प्रस्त.वों को शामिल करते हुए एक योजना जारी करें।

13.3 राज्य में बायो–फ्यूल आधारित परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने हेतु इस ज्ञापन के पैरा 8 एवं 10 में दिये गये प्रस्तावों का अनुमोदन किया जाकर **इस संदर्भ में बनायी गयी योजना** को जारी किया जावे एवं बायो–फ्यूल प्राधिकरण का गठन किया जावे।

13.4 इस योजना की गतिविधियों के संचालन हेतु समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये मंत्री मण्डलीय समिति का मत है कि इस कार्य को निम्नलिखित किसी भी विभाग को सौंपा जा सकता है :–

1. ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
2. उद्योग विभाग

अतः उपरोक्त में से किसी एक विभाग को प्रशासनिक विभाग निर्धारित करते हुए निर्णय लिया जाता है।

5/X/2006

(रामलुभाया)
प्रमुख शासन सचिव
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
क्रमांक प. 22 (56) WDSC/BIOF/05

परिशिष्ट –क

आज्ञापक क्रियान्वयन अनुसूची

विषय :– बायो–फ्यूल आधारित परियोजनाऐं प्रोत्साहित करने के संदर्भ में मंत्रीमण्डल के विचारार्थ ज्ञापन ।

क्र. सं.	अपेक्षित निर्णयों का सार	निर्णयों से होने वाले संभावित लाभ एवं उपलब्धियां	समयावधि एवं निर्णय क्रियान्वयन पद्धति तथा उसकी रिर्पोटिंग
1	बायो–फ्यूल आधारित परियोजनाऐं प्रोत्साहित करने हेतु राज्य में उपलब्ध बंजर भूमि के आवंटन के संबंध में।	राज्य में उपलब्ध बंजर भूमि का उपयोग रतनज़ोत उत्पादन के लिए किया जा सकेगा, जिससे बायो–डीज़ल बनाया जा सकेगा, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध होगा एवं विदेशी मुद्रा की बचत होगी।	अति शीघ्र, राजस्व विभाग
2	Degraded Forest क्षेत्र में बायो–फ्यूल आधारित वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के प्रस्तावानुसार योजना जारी किया जाना।	वन विभाग की पडत भूमि पर रतनजोत एवं करंज का पौधारोपण किया जाने से प्राकृति संसाधन का विकास होगा एवं इन बीजों से बायो–डीज़ल प्राप्त किया जा सकेगा।	अतिशीघ्र वन विभाग
3	रतनजोत की खेती हेतु निजी कृषकों, बीपीएल समूहों, ग्राम पंचायतों एवं कृषि सहकारी समितियों को अनुदान दिया जाना एवं अन्य inputs तथा विस्तार सेवाऐं उपलब्ध करवाना ।	निजी कृषक रतनजोत खेती हेतु प्रोत्साहित होंगे एवं उच्च गुणवत्ता के रतनजोत बीज प्राप्त होंगे।	अतिशीघ्र कृषि विभाग बायो–फ्यूल प्राधिकरण
4	राज्य में बायो–फ्यूल आधारित परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने हेतु बायो–फ्यूल प्राधिकरण का गठन किया जाना एवं प्रशासनिक विभाग तय किया जाना।	राज्य में रतनजोत की खेती एवं बायो–फ्यूल आधारित परियोजनाओं को गति दी जा सकेगी।	अतिशीघ्र

5/X/2006
(रामलुभाया)
प्रमुख शासन सचिव
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

परिशिष्ट - 'अ'
परिशिष्ट - 'अ'

DISTRICT WISE CULTURABLE WASTE LAND IN RAJASTHAN

S. No.	District	Waste Land (Area in Sq. Km.)
1	Udaipur	2041.22
2	Sirohi	1594.73
3	Chittorgarh	1684.02
4	Rajsamand	1939.65
5	Dungarpur	1278.12
6	Banswara	1730.31
7	Kota	945.05
8	Bhilwara	3048.38
9	Jhalawar	2653.43
10	Bundi	1995.77
11	Baran	2158.22
TOTAL		21068.90

(Source:-State Remote Sensing Application Center Department of Science and Technology Government of Rajasthan, Jodhpur)

C:\WINDOWS\Desk... SAXSENA\MON...LY PREPAR... .doc

परिशिष्ट - घ

(36)

बायो-फ्यूल आधारित परियोजना के संबंध में गठित मंत्रीमण्डलीय समिति की रिपोर्ट

राज्य में बायो-फ्यूल आधारित परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के सन्दर्भ में विचाराधीन नीति का परीक्षण करने तथा इस संदर्भ मे अन्य राज्यों में प्रचलित नीतियों एवं कार्यक्रमों का परीक्षण कर अनुशषां करने/सुझाव देने हेतु मंत्रीमण्डल सचिवालय के आदेश क्रमांक प.4 (1) मं.मं./99/पार्ट-1 दिनांक 17.03.06 द्वारा मंत्रीमण्डलीय समिति का गठन किया गया।

2. समिति द्वारा इस विषय पर आयोजित बैठक में दिनांक 24.03.06 एवं 29.03.06 एवं 12.9.2006 को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रसारित विभिन्न भू आवंटन नियमों, पहलुओं, मंत्री मण्डल ज्ञापन, अन्य राज्यों में प्रचलित नीतियों, नियमों पर विस्तृत चर्चा व मंथन पश्चात निम्न नीति प्रस्तावित की जाती है :

2.1 बंजर भूमि का बायो-फ्यूल हेतु रतनजोत, करंज आदि की खेती व उद्योग स्थापना हेतु आवंटन निम्न श्रेणियों को किया जाएगा:-

1- निजी कम्पनी (भारतीय कम्पनीज एक्ट 1956 में पंजीकृत)
2- राजकीय उपक्रम
3- बी.पी.एल. परिवारों के स्वयं सहायता समूह
4- ग्राम पंचायत
5- कृषि सहकारी समितियां
6- पंजीकृत समितियां
7- ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबंधन समिति

नोट- उन राजकीय उपक्रम एवं निजी कम्पनियों को प्राथमिकता (preference) दी जावेगी जिसमें बायो-फ्यूल हेतु रतनज़ोत, करंज व अन्य समकक्ष तेलीय पौधों की खेती के साथ-साथ निम्न कार्य किया जावेगा --

1- प्रसंस्करण इकाई की स्थापना
2- बायो डीजल रिफाईनरी की स्थापना
3- पैकेज ऑफ प्रेक्टिस हेतु अनुसंधान एवं विकास कार्य
4- उच्च गुणवत्ता की पौध एवं बीज के विकास हेतु नर्सरी स्थापना
5- रतनजोत, करंज एंव अन्य समकक्ष तेलीय पौधों की खेती
6- बायो-फ्यूल उद्योग में रोजगार एवं कृषि कार्यो में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार उपलब्ध करवाया जावेगा
7-जिले के निर्धारित क्षेत्र में बायो-फ्यूल प्राधिकरण द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उत्पादित रतनजोत की खरीद की जावेगी।

2.2 निजी कम्पनी (भारतीय कम्पनीज एक्ट 1956 में पंजीकृत) एवं राजकीय उपक्रम को जिले में उपलब्ध बंजर भूमि का अधिकतम 50% भाग तक आवंटित किया जा सकता है। शेष भूमि अन्य श्रेणियों को आवंटन हेतु उपलब्ध रहेगी। इसमें बी.पी.एल. परिवारों के स्वयं सहायता समूहों को प्राथमिकता दी जावेगी।

2.3 निजी कम्पनी (भारतीय कम्पनीज एक्ट 1956 में पंजीकृत) एवं राजकीय उपक्रम को बायो–फ्यूल प्रोजेक्ट हेतु 1000 हैक्टेयर तक भूमि का आवंटन मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा, इससे अधिक आवंटन के प्रस्ताव बी.डी. को निर्णय हेतु प्रस्तुत किये जावेंगे। अन्य श्रेणियों को 100 हैक्टेयर तक भूमि आवंटन जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जावेगा।

2.4 राजकीय उपक्रम, निजी कम्पनियों एवं पंजीकृत समितियों को भूमि का आवंटन डीएलसी दरों की 20 प्रतिशत राशि (बारानी भूमि की निम्नतम श्रेणी पर लागू होने वाली दरों के आधार) पर किया जावेगा। शेष श्रेणियों को भूमि निःशुल्क आवंटित की जाएगी।

2.5 राजकीय उपक्रम, निजी कम्पनियों एवं पंजीकृत समितियां को भूमि का आवंटन पट्टाधारी (leasehold) आधार पर 20 वर्षीय लीज पर किया जाएगा और शेष श्रेणियों को आवंटन भूमि पर गैर खातेदारी आधार पर दिया जाएगा।

2.6 आवंटी को आवटित भूमि का 50 प्रतिशत प्रथम दो वर्ष में तथा शेष आवंटन से तृतीय वर्ष में प्लान्टेशन के कार्य में लेना होगा। इस शर्त की पूर्ति नहीं होने की स्थिति में आवंटन स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

2.7 एन.सी.आर. क्षेत्र, शहरी क्षेत्र व मुख्य सड़क मार्गो से निर्धारित दूरी तक की भूमि आवंटित नहीं की जावेगी।

3. प्रस्तावित नीति के अनुमोदन पश्चात् राजस्व विभाग द्वारा इस संबंध में आवश्यक नियम शीघ्र जारी किये जावेंगे।

(38)

4. इस योजना की गतिविधियों के संचालन हेतु नोडल विभाग सम्बन्धी समिति का मत है कि भारत सरकार में यह कार्य ग्रामीण विकास मंत्रालय को सौंपा गया है। यदि भू आवंटन का कार्य उपरोक्तानुसार प्रस्तावित नीति अनुरूप होगा तो यह गतिविधि ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर मुख्यतया आधारित होगी। इस प्रक्रिया में ग्रामीण औद्योगीकरण का अंश भी शामिल है और साथ ही कृषि विस्तार से सम्बन्धी गतिविधियाँ भी शामिल है। लेकिन कृषि विभाग का नियंत्रण अब जिला स्तर पर पंचायती राज को सौंपा जा चुका है। इन समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये समिति का मत हैं कि इस कार्य को निम्न लिखित किसी भी विभाग को सौंपा जा सकता है :–

1. ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
2. उद्योग विभाग

(राजेन्द्र राठौड़)
मंत्री सा.नि.वि.

(रामनारायण डूडी)
मंत्री राजस्व विभाग

(कालूलाल गुर्जर)
मंत्री ग्रा.वि. एवं पं.राज.

(नरपत सिंह राजवी)
मंत्री उद्योग विभाग

(यूनूस खाँ)
मंत्री यातायात विभाग

(प्रभूलाल सैनी)
मंत्री कृषि विभाग